ठेकदारी प्रथा के तहत शोषण की पराकाष्ठा

मज़दूर मरते हों तो मरें, कोई पूछने वाला नहीं

फरीदाबाद (इंकलाबी मज़दूर केंद्र) मुजेसर थाने के पास सेक्टर-24 में फरीदाबाद फेब्रीकेटर नाम की फैक्ट्री है जिसमें सैंकड़ों की संख्याा में मज़दूर काम करते हैं। इनहें दो अलग-अलग ठेकेदारों के मातहत रखा गया है। फैक्ट्री में श्रम कानूनों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जाता है। न्यूनतम वेतन भी नहीं, जबरन 16-16 घंटे काम करवाना, ईएसआई, पीएफ के नाम पर धांधली, पीने के पानी और शौचालय तक की सुविधा नहीं, सुरक्षा उपकरणों का नामोंनिशान नहीं, उस पर गाली-गलौच, मारपीट आम बात है।

फैक्ट्री में पूरा काम स्थाई प्रकृति का है। सारा काम विशालकाय मशीनों पर पावर से होता है, फिर भी लगभग सारे मज़दूर ठेके पर रखे गये हैं। ज्यादातर मज़दूर 20-22 साल की उम्र के अशिक्षित और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आये हुए हैं जिन्हें न अपने किसी तरह के हकों के बारे में पता है न उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि ही ऐसी है कि ये कोई आवाज़ उठा सकें। शहर में बेरोज़गारी की स्थिति यह है कि हर तरह के ज़ुल्म और अत्याचार सह कर काम करना ही पड़ता है।

फैक्ट्री में खतरनाक प्रेस मशीनों पर काम होता है, जहां अक्सर ही दुर्घटनायें होती रहती हैं। पिछले कुछ सालों में ही यहां कई दर्जन मज़दूरों के हाथ कट चुके हैं। कुछ मौतें भी हो चुकी हैं। जब दुर्घटना होती है तो मज़दूर का ईएसआई फार्म भरा जाता है। उससे पहले मज़दूरों को रिकार्ड में दिखाने से बचा जाता है। छः-छः महीने में मज़दूरों को इस ठेकेदार से उस ठेकेदार के पास भेज दिया जाता है।

ऐसी ही परिस्थिति में 29 अप्रैल को देर रात एक मज़दूर के दोनों हाथों के पंजे प्रेस मशीन पर काम करते हुए कट गये। मज़दूर लगभग दो घंटे तक घटनास्थल पर तड़पता रहा मगर प्रबंधन बैक डेट में उसके ईएसआई फार्म भरने में लगा रहा। फैक्ट्री परिसर में प्रबंधकों की कई चमचमाती कारें खड़ी थीं, पर उस मज़दूर को माल ढोने वाले ऑटो में डाल कर ईएसआई अस्पताल पहुंचाया गया। वो भी तब जब मज़दूरों ने शोर-शराबा मचाना शुरू कर दिया। तब अगले दिन सुबह फैक्ट्री के मज़दूर रोज-रोज की ऐसी घटनाओं और प्रबंधकों के बेशर्म रवैये के खिलाफ़ काम पर नहीं गये और फैक्ट्री गेट पर बैठ गये। हालांकि ये कार्यवाही स्वत:स्फूर्त थी। मज़दूरों के पास कोई योजना नहीं थी और न ही इस तरह के आंदोलनों का कोई अनुभव। फैक्ट्री गेट पर जो ताकत दिखाई दे रही थी, वह भी न अनुशासित थी, न ही संगठित।

ऐसे में किसी ने इंकलाबी मज़दूर केंद्र के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दे दी। इन लोगों ने वहां पहुंच कर मज़दूरों की सभा कर मांगें तय की-1.घायल मज़दूर को दस लाख का मुआवज़ा 2. फैक्ट्री के तहत मज़दूर को स्थाई नौकरी 3. सभी मज़दूरों के नाम मस्टर रोल रजिस्टर में दर्ज किये जायें 4. फैक्ट्री से ठेका प्रथा खत्म किया जाये।

इन मांगों के साथ इंकलाबी मज़दूर केंद्र के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी, फैक्ट्री का गेट बंद रहेगा। तब तक वीनस इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन और राष्ट्र मानव अधिकार के प्रतिनिधि भी कार्यवाही में शामिल हो गये और मांगों का समर्थन किया। इसके बाद फैक्ट्री गेट पर नारेबाजी शुरू हो गई। कहीं से खबर पा कर डीएलसी दफ़्तर से भी दो लेबर इंस्पेक्टर वहां पहुंच गये। इसी बीच प्रबंधन के लोग घायल मज़दूर की पत्नी और उसके भाई को बहलाने-फुसलाने में लगे रहे। वे उन्हें डरा-धमका भी रहे थे। इसी बीच इंकलाबी मज़दूर केंद्र के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़पें भी हुईं। अब प्रबंधकों ने एक लाख रुपये मुआवज़ा और ठेकेदारी के तहत ही पक्की नौकरी की पेशकश की। मज़दूरों ने इनकार कर नारेबाजी तेज की। लेबर इंस्पेक्टरों ने अंदर जा कर प्रबंधकों से बातचीत की और बाहर आ कर इंकलाबी मज़दूर केंद्र के कार्यकर्ताओं को समझाने लगे कि देखो भाई, घायल मज़दूर ईएसआई में है। ठीक होने पर उसे पेंशन मिलेगी, इंसानियत के नाते प्रबंधक उसे एक लाख रुपये दे रहे हैं। और क्या चाहिए, मामला खत्म करो। इमके कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस फैक्ट्री में गैरकानूनी तौर पर ठेकेदारी चलती है, कोई श्रम कानून लागू नहीं होते। आप इन पर कार्यवाही करें। इस पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि वो सब बाद में होता रहेगा, अभी जो तात्कालिक मुद्दा है, उसे निपटाओ। इमके कार्यकर्ता फैक्ट्री में श्रम कानून लागू किये जाने के मुद्दे पर अड़े रहे। तब तक प्रबंधन के लोग घायल मज़दूर की पत्नी को बहलाने-फुसलाने में कामयाब हो गये। प्रबंधक उसे गाड़ी में बिठा कर शायद अस्पताल ले कर चले गये। उस महिला के जाने से मज़दूरों का जोश ठंडा पड़ गया। वे कहने लगे कि जिसके लिए लड़ रहे थे, वही चला गया तो हम क्या करें। यह सोच कर सारे मज़दूर बिखर गये। कुछ अंदर काम पर चले गये, कुछ अपने घर। इमके कार्यकर्ता भी वापस होने को हुए कि तभी प्रबंधक दो पुलिस वालों को लेकर वहां चले आये। पुलिस वालों ने इमके कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की मगर कार्यकर्ताओं के तेवरों को देख कर जल्दी ही उनकी समझ में आ गया कि यहां उनकी दाल नहीं गलनी है तो वे नरमी का रुख अपनाते हुए कहने लगे कि अब तो आपका मामला खत्म हो गया है, अब तो आप लोग जाइये।

इस तरह मज़दूरों ने दमघोंटू माहौल, अमानवीय परिस्थितियों और शासन-प्रशासन एवं प्रबंधकों के गठजोड़ के खिलाफ़ आवाज़ उठाई, थोड़ा लड़े और थोड़ा पाये। यदि मज़दूर और लड़ते तो और पाते, पर इसके लिए क्रांतिकारी ताकतों द्वारा मज़दूरों को संगठित कर उन्हें उनकी क्रांतिकारिता से परिचित कराना होगा। गौरतलब है कि फरीदाबाद में भारी पैमाने पर फैक्ट्रियों में गैरकानूनी रूप से ठेके के तहत काम करवाया जा रहा है। इन ठेका मज़दूरों के लिए तमाम कानूनी सुविधायें किताबों की बातें हो कर रह गई हैं। और यह सब हो रहा है खुलेआम श्रम विभाग की नाक के नीचे। पाठक समझ सकते हैं कि श्रम विभाग किस कीमत पर यह सब होने देता है।

इंटरनेशनल विश्वविद्यालयों का सच

उच्च शिक्षा में निजीकरण के कारण शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बाढ़ आ गई है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। इस मामले में काफ़ी घपले भी हुए हैं। यूजीसी ने कोई मुफ़्त में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को डीम्ड का दर्जा नहीं दिया, बल्कि इसके लिए इसके कर्ता-धर्ताओं ने काफ़ी रिश्वतें भी लीं। और रिश्वत के बदले ऐसे संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कोई साधन ही नहीं है। इस मामले में अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता देने के संबंध में नियमों की अनदेखी के लिए यूजीसी को कड़ी फटकार लगाई है। उसने कहा है कि यूजीसी ने अयोग्य संस्थानों को डीम्ड का दर्जा दे कर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ किया गया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा अनियमितता तब पाई गई है जब अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे। इनके दौर में जिन चार संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, वे हैं हैदराबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, फरीदाबाद स्थित मानव रचना इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद स्थित नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय और राजस्थान का मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये संस्थान न्यूनतम शर्तों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, पर इन्हें फरवरी 2004 से दिसंबर 2008 के बीच यूजीसी ने मान्यता दे दी और अब ये करोड़ों-अरबों का शिक्षा-व्यापार कर रहे हैं।

पेज 8 का शेष भाग

समाज सेवा : सेवा या धंधा ?

कुछ समाज सेवकों ने तो पहले से ही अपने बोर्ड पर अपने साथ अपनी समाज सेविका पत्नी का भी फ़ोटो लगवा लिया था ताकि लोग पहले से ही उसे पहचान जायें और पुण्य कमाने का मौका किसी और परिवार के पास न चला जाये। फरीदाबाद नगर निगम के इस चुनाव में स्थानीय मंत्रियों के फ़ोटो का इस्तेमाल कई प्रत्याशी कर रहे हैं। कुछ विशेष चमचे तो उनके बेटे के फ़ोटो भी लगवा रहे हैं, क्योंकि आने वाले गद्दीनशीन तो यही लोग होंगे।

कुछ विधान सभा के हारे हुए प्रत्याशियों का जाति प्रेम फिर से जाग गया है। चुनाव हारने के बाद उन्हें अपनी बिरादरी याद आ गई है। वे सभी मौकों पर चाहे वो मौत का हो या शादी का, अपने जातिवादी विचार जगजाहिर कर देते हैं। जब तक वो सत्ता में थे, इन्हें सिवा धन कमाने के कुछ सूझ नहीं रहा था। पिछले नगर निगम के तीन कार्य कालों में इन समाज सेवकों ने जो कार्य किये हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं।

एसडी कॉलेज, पलवल : नकल के नये कीर्तिमान

पलवल (म.मो.) परीक्षाएं पास करने के लिए पेपर का लीक होना, नकल मारना या अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाना अथवा परीक्षक से सांठगांठ करके मनचाहे अंक प्राप्त कर लेना जो किसी जमाने में असंभव-सी बातें लगती थीं, आज आम बात हो गई है। वैसे तो ये सारे काम आज लगभग पूरे ही देश में हो रहे हैं, लेकिन मज़दूर मोर्चा संवाददाता ने पलवल के बहुत ही पुराने एवं प्रतिष्ठित एसडी कॉलेज में जो सामूहिक नकल मारने का नज़ारा देखा वैसा पहले कभी देखने में नहीं आया था। हो सकता है कि इस देश में पलवल के इस कॉलेज से भी सामूहिक नकल मारने के और भी बदतर नज़ारे हों, लेकिन फ़िलहाल तो यहां का एसडी कॉलेज ही इस मामले में नंबर -1 है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियमों के अनुसार परीक्षा भवन में केवल परीक्षार्थी ही प्रवेश करते हैं तथा परीक्षा भवन के परिसर के आसपास भी कोई व्यक्ति फटकना नहीं चाहिए। आवश्यकता होने पर इसके लिए व्यापक पुलिस प्रबंध भी किये जाते हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए निगरानी स्टॉफ के अलावा विश्वविद्यालय ने फ़्लाइंग स्टॉफ तथा आब्जर्वर भी नियुक्त किये हुये हैं जिन पर यूनिवर्सिटी का भारी खर्चा होता है। लेकिन ये सब लोग भी इस कॉलेज के लिए कोई मायने नहीं रखते।

परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों की निगरानी करने वाले (प्राध्यापक) स्टॉफ का यह दायित्व होता है कि वे किसी भी परीक्षार्थी को किसी तरह से भी नकल न मारने दें। लेकिन पलवल के इस कॉलेज में ऐसा कोई कानून लागू नहीं होता। यहां के परीक्षा भवन की तुलना दशहरे के मेले से की जा सकती है। कोई भी परीक्षार्थी एवं उसके नकल मराने में सहायक एवं समर्थक जब चाहें जैसे चाहें परीक्षा भवन में आते-जाते रहते हैं। निगरानी स्टॉफ में यह साहस नहीं कि उनको जरा रोक-टोक भी दे। एक-दो कर्तव्यनिष्ठ लोगों ने रोक-टोक करने का प्रयास किया तो उन्हें गुंडा तत्वों ने ऐसा सबक सिखा दिया कि फ़िर किसी की उन्हें रोकने-टोकने की हिम्मत नहीं हुई। जानकार बताते हैं कि पुलिस को स्थानीय नेताओं द्वारा कह दिया गया है कि वे छात्रों के मामले में दखल दे कर शांति को भंग न करें। दूसरे शब्दों में पुलिस वहां हस्तक्षेप न करे, क्योंकि ऐसा करने से वहां शांति भंग हो सकती है।

पेशेवर राजनीति के खिलाड़ी चुनाव जीतने के लिए युवा शक्ति में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए उन्हें अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। इसके चलते वहां के प्रभावशाली राजनीतिक खिलाड़ियों ने बाकायदा छात्रों को अपने-अपने खेमों में बांट रखा है और चुनाव में उनका भरपूर 'सदुपयोग' किया जाता है। ये निर्मम राजनीतिक लोग छात्रों को खुश करके अपने से जोड़े रखने के लिए उनके भविष्य से खिलवाड़ करने में भी कतई नहीं चूक रहे। इन अबोध छात्रों को तो शायद इस बात का ज्ञान न हो कि वे परीक्षाओं से खिलवाड़ करके अपना व समाज का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं, लेकिन नेतागण तो यह सब बखूबी समझते ही हैं। नकल के दम पर पास हुए अयोग्य छात्रों में से कुछ एक तो इन्हीं नेताओं की बदौलत सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक अयोग्य व्यक्ति कैसी नौकरी कर सकता है, इसका नमूना हम आये दिन सरकारी दफ़्तरों में देखते ही रहते हैं। दूसरी बात, एक अयोग्य व्यक्ति जब नौकरी पाता है तो वहीं एक योग्य व्यक्ति का हक भी मारा जाता है, इसे नहीं भूलना चाहिए।

अपने ओछे राजनीतिक स्वार्थों के लिए राजनेता तो छात्रों को तबाह करने पर लगे ही हुए हैं, इस कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी व विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारी भी कम दोषी नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस कॉलेज के प्रिंसिपल एवं स्टॉफ के बीच छत्तीस का आंकड़ा भयंकर रूप धारण किये हुए है, जिसके चलते कॉलेज के तमाम प्राध्यापकों ने परीक्षा के दौरान निगरानी ड्यूटी करने से साफ़ इनकार कर दिया। इसलिए निगरानी ड्यूटी के लिए स्कूलों तथा अन्यत्र स्थानों से ऐसे लोगों को इस काम पर लगा दिया गया जिनका अपना स्तर भी परीक्षार्थियों से किसी प्रकार ऊपर नहीं है। ऐसे में परीक्षार्थी भला निगरानी स्टॉफ की क्या परवाह करेंगे। कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी इस सारे मामले में पूर्णतया उदासीन रवैया बनाये हुए है। कमेटी का व्यवहार यह दर्शाता है कि उन्हें इस मामले से क्या लेना-देना, जो जैसी करेंगे, वे वैसी भरेंगे, उन्हें तो केवल कॉलेज की चौधर से मतलब है, छात्रों का भविष्य जाये भाड़ में। रही बात यूनिवर्सिटी की, वहां इनसे भी बड़े स्वार्थी एवं उदासीन लोग विराजमान हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियमों के अनुसार इतने बड़े पैमाने पर परीक्षायें एवं परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन फ्लाइंग स्टॉफ एवं आब्जर्वर द्वारा उन्हें बार-बार सूचित किये जाने के बावजूद विश्वविद्यालय अधिकारियों ने कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी। लगता है अब यूनिवर्सिटी को भी केवल अपनी दुकान चलाने तक का ही मतलब रह गया है।

कमेटी का व्यवहार यह दर्शाता है कि उन्हें इस मामले से क्या लेना-देना, जो जैसी करेंगे, वे वैसी भरेंगे, उन्हें तो केवल कॉलेज की चौधर से मतलब है, छात्रों का भविष्य जाये भाड़ में। रही बात यूनिवर्सिटी की, वहां इनसे भी बड़े स्वार्थी एवं उदासीन लोग विराजमान हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियमों के अनुसार इतने बड़े पैमाने पर परीक्षायें एवं परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन फ्लाइंग स्टॉफ एवं आब्जर्वर द्वारा उन्हें बार-बार सूचित किये जाने के बावजूद विश्वविद्यालय अधिकारियों ने कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी। लगता है अब यूनिवर्सिटी को भी केवल अपनी दुकान चलाने तक का ही मतलब रह गया है।